प्रेषक,

संख्या–5315/सत्तर–6–2009–2(583)/2009

आर0के0मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6

लखनऊः दिनांकः 31 दिसम्बर, 2009

विषयः– महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–2135/सम्बद्धता/2009, दिनांक 11.12.2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के अधीन पं0 सूर्यनारायण चतुर्वेदी विधि महाविद्यालय, खलीलाबाद, संतकबीरनगर को स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अंतर्गत एल0एल0बी0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2009 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:–

1. महाविद्यालय द्वारा बार काउन्सिल आफ इण्डिया की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही छात्रों के प्रवेश लिए जाएंगे।
2. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या–4108/सत्तर–2–2007–2(494)/2007,दिनांक 17.10.2007 तथा शासनादेश संख्या–2112/सत्तर–2–2008–2(494)/2007, दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

(आर0के0मिश्र)
अनु सचिव।

संख्या–5315(1)/सत्तर–6–2009, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, लखनऊ बेंच, लखनऊ को रिट याचिका संख्या–10329(एम/बी)/2009 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.11.2009 के अनुपालन में।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
4. सचिव, बार कौंसिल आफ इण्डिया, 21, राउज एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली।
5. प्रबन्धक, पं0 सूर्यनारायण चतुर्वेदी विधि महाविद्यालय, खलीलाबाद, संतकबीरनगर।
6. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0मिश्र)
अनु सचिव।